रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13022025-260978
CG-DL-E-13022025-260978

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 97] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 11, 2025/माघ 22, 1946
No. 97] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 11, 2025/MAGHA 22, 1946

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2025

सा.का.नि. 130(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारतीय कौशल विकास सेवा नियम, 2017 को उन बातों के सिवाय अधिक्रमण करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में समूह 'क' पदों पर भर्ती की पद्धति और सेवा शर्तों का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभः-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय कौशल विकास सेवा नियम, 2025 है।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं. –** इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

   (क) **"आयोग"** से संघ लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;

   (ख) **"नियंत्रक प्राधिकारी"** से भारत सरकार का कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय अभिप्रेत है;

   (ग) **"विभागीय अभ्यर्थी"** से निम्नलिखित नियमों के अधीन नियुक्त किए गए ऐसे सभी विद्यमान अधिकारी जो समूह 'क' पद धारण किए हुए हैं, अभिप्रेत है-

(i) उप महानिदेशक (समूह 'क' पद), भर्ती नियम, 2002; या

(ii) प्रशिक्षण निदेशालय (समूह 'क' पद), भर्ती नियम, 2011; या

(iii) भारतीय कौशल विकास सेवा नियम, 2017,

और इसके अन्तर्गत ऐसे अधिकारी भी सम्मिलित होंगे जो उक्त नियमों के अधीन पदों पर नियमित रूप से नियुक्त किए गए हैं, किन्तु जो इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर हैं;

(घ) "विभागीय प्रोन्निति समिति" से कनिष्ठ वेतनमान और उससे उपर की श्रेणी में प्रोन्नति पर विचार करने के लिए समिति अभिप्रेत है; और "विभागीय पुष्टि समिति" से कनिष्ठ वेतनमान श्रेणी के अधिकारियों की पुष्टि के लिए समिति अभिप्रेत है; तथा "विभागीय छानबीन समिति" से अकृत्यिक दूसरी श्रेणी प्रदान करने पर विचार करने के लिए समिति अभिप्रेत है;

(ड.) **"ड्यूटी पद"** से पहली अनुसूची में सम्मिलित कोई भी पद अभिप्रेत है;

(च) **"ग्रेड"** से पहली अनुसूची के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट कोई ग्रेड अभिप्रेत है;

(छ) किसी ग्रेड के संबंध में, **"नियमित सेवा"** से उस ग्रेड में इन नियमों के प्रारंभ के पूर्व या उनके पश्चात की गई अनुमोदित सेवा की अवधि या अवधियां अभिप्रेत हैं और इसके अंतर्गत ऐसी कोई अवधि या अवधियां भी हैः-

(i) जिन पर ऐसे अभ्यर्थियों की दशा में जिन्हें प्रारंभिक गठन के समय नियुक्त किया गया था, ज्येष्ठता के प्रयोजन के लिए विचार किया जाएगा; और

(ii) जिनके दौरान कोई अधिकारी उस ग्रेड में ड्यूटी पद धारण करता है किंतु जो छुट्टी पर रहने के कारण या अन्यथा उस पद को धारण करने के लिए उपलब्ध नहीं था;

(ज) **"अनूसूची"** से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;

(झ) **"सेवा"** से नियम 3 के अधीन गठित भारतीय कौशल विकास सेवा अभिप्रेत है।

3. **भारतीय कौशल विकास सेवा का गठनः-** (1) भारतीय कौशल विकास सेवा के रूप में ज्ञात की जाने वाली एक सेवा का गठन किया जाएगा जिसमें नियम 5 में विनिर्दिष्ट सदस्य होंगे।

(2) सेवा में सम्मिलित सभी पद समूह ('क') पदों के रूप में वर्गीकृत किए जाएंगे।

4. **ग्रेड, प्राधिकृत संख्या और उसका पुनर्विलोकनः-** (1) इन नियमों के प्रारंभ पर सेवा के विभिन्न ग्रेडों में सम्मिलित ड्यूटी पद, उनकी संख्या और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं:

(2) इन नियमों के प्रारंभ के पश्चात विभिन्न ग्रेडों में ड्यूटी पदों की प्राधिकृत संख्या वह होगी जो समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाये।

(3) केंद्रीय सरकार, आयोग से परामर्श करके पहली अनुसूची में सम्मिलित पदों के समतुल्य प्रस्थिति, वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर में माने जाने वाले पदों को सेवा में सम्मिलित कर सकेगी या उक्त अनुसूची में सम्मिलित किसी कर्तव्य पद को सेवा से अपवर्जित कर सकेगी।

(4) केंद्रीय सरकार, समय-समय पर और आयोग से परामर्श करके ऐसे किसी अधिकारी को जिसका पद उपनियम (3) के अधीन सेवा में सम्मिलित है, किसी अस्थायी हैसियत में या किसी अधिष्ठायी हैसियत में जो वह ठीक समझे, सेवा के समुचित ग्रेड में नियुक्त कर सकेगी और उस सदृश ग्रेड में उसकी निरंतर सेवा पर विचार करने के पश्चात उस ग्रेड में उसकी ज्येष्ठता नियत कर सकेगी।

5. **सेवा के सदस्यः-** (1) निम्नलिखित व्यक्ति सेवा के सदस्य होंगे, अर्थातः-

(क) ऐसे व्यक्ति जिन्हें नियम 6 के अधीन ड्यूटी पदों पर नियुक्त किया गया हैः और

(ख) ऐसे व्यक्ति जिन्हें नियम 4 के उपनियम (4) और नियम 7 के अधीन ड्यूटी पदों पर नियुक्त किया गया है।

(2) उपनियम (1) के खण्ड (क) के अधीन नियुक्त किसी व्यक्ति को ऐसी नियुक्ति पर पहली अनुसूची में उस पर लागू तत्समान ग्रेड में सेवा का सदस्य माना जाएगा।

(3) उपनियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति उक्त नियुक्ति की तारीख से पहली अनुसूची में उस पर लागू तत्समान ग्रेड में कार्य करते हुए सेवा का सदस्य होगा।

6. **सेवा का प्रारंभिक गठनः-** इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को नियमित आधार पर विभिन्न ग्रेडों में समूह "क" पद धारण करने वाले सभी विद्यमान विभागीय अभ्यर्थियों को तत्समान ड्यूटी पदों पर और यथास्थिति, किसी अधिष्ठायी या स्थानापन्न हैसियत में सेवा के ग्रेड में नियुक्त किया गया माना जाएगा।

7. **सेवा का भावी अनुरक्षणः-** इन नियमों के प्रारंभ के पश्चात पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी ग्रेड में किसी रिक्ति को निम्निलिखित रीति में भरा जाएगाः-

(क) सेवा के विभिन्न ग्रेडों के लिए नियुक्तियां, भर्ती की पद्धति, प्रोन्नति के क्षेत्र, अगले निम्नतर ग्रेड में न्यूनतम अर्हक सेवा और दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट, यथास्थिति, प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा और अन्य पात्रता शर्तों के अनुसार की जाएंगी;

(ख) प्रोन्नति के लिए अधिकारियों का चयन तीसरी अनुसूची के अनुसार गठित विभागीय प्रोन्नति समिति/विभागीय छानबीन समिति की सिफारिश पर किया जाएगा;

(ग) सेवा के कनिष्ठ वेतनमान (सहायक निदेशक) में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं, अनुभव और आयु-सीमा वह होगी जो चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।

8. **परिवीक्षाः** (1) सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा सेवा में नियुक्त प्रत्येक अधिकारी दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर होगाः

परन्तु नियंत्रक प्रधिकारी केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार परिवीक्षा की अवधि को बढ़ा सकेगाः

परन्तु यह और कि परिवीक्षा की अवधि बढ़ाने का विनिश्चय साधारणतया परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति के पश्चात आठ सप्ताह के भीतर किया जाएगा और उक्त अवधि के भीतर ऐसा करने के कारणों सहित संबंधित अधिकारी को लिखित रूप में संसूचित कर दिया जाएगा।

(2) परिवीक्षा या उसकी बढ़ाई गई कोई अवधि पूरा करने पर किसी अधिकारी को, यदि उसे स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया जाता है, नियमित आधार पर उसकी नियुक्ति में प्रतिधारित किया जाएगा और सम्यक् अनुक्रम में उपलब्ध अधिष्ठायी रिक्ति पर उसकी पुष्टि कर दी जाएगी।

(3) यदि, यथास्थिति, परिवीक्षा या उसकी बढ़ाई गई किसी अवधि के दौरान केंद्रीय सरकार की यह राय है कि कोई अधिकारी स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है, तो केंद्रीय सरकार द्वारा उसके कोई कारण बताए बिना – (क) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया था, तो उसे उस पद पर सेवा से उन्मुक्त किया जाये; और (ख) यदि वह प्रोन्नति द्वारा नियुक्त किया गया था, तो उसे प्रोन्नति कि ठीक पूर्व उसके द्वारा धारित पद पर प्रतिवर्तित किया जाये।

(4) परिवीक्षा या उसकी बढ़ाई गई किसी अवधि के दौरान अधिकारी से ऐसे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और अनुदेश प्राप्त करने तथा ऐसी परीक्षाएं और परीक्षण जिसके अंतर्गत हिन्दी की परीक्षा भी है, उत्तीर्ण करने की अपेक्षा

की जा सकेगी जो केंद्रीय सरकार परिवीक्षा के समाधान-प्रद रूप में पूरा करने की शर्त के रूप में आवश्यक समझे।

(5) उपनियम)1) से)4) के अधीन सेवा के सदस्यों की परिवीक्षा से संबंधित अन्य मामले इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी अनुदेशों से-शासित होंगे।

9. **ज्येष्ठताः**) 1) नियम 6 के अधीन सेवा के प्रारंभिक गठन पर पहली अनुसूची में वर्णित विभिन्न ग्रेडों में नियुक्त अधिकारियों की परस्पर ज्येष्ठता का अवधारण, नियम 2 के खण्ड (क) के वर्णित नियमों के अधीन भर्ती किए गए अधिकारियों की परस्पर ज्येष्ठता के संबंधित ग्रेडों में अनुरक्षण के अधीन रहते हुए उस ग्रेड में नियमित निरंतर सेवा की समयावधि के अनुसार किया जाएगा;

(2) प्रारंभिक गठन के समय नियुक्त अधिकारी बाद में नियुक्त सभी अधिकारियों से ज्येष्ठ होंगे;

(3) प्रारंभिक गठन के पश्चात सेवा में नियुक्त अधिकारियों की ज्येष्ठता समय समय पर-यथा संशोधित कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं .22011/7/86-स्था. तारीख 3 जुलाई, 1986 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार अवधारित की जाएगी;

(4) नियम 4 के उप) नियम-4) के अधीन नियुक्त अधिकारियों की ज्येष्ठता इन नियमों में उपबंधित रीति में नियत की जाएगी;

(5) ऐसे अधिकारियों की ज्येष्ठता जो इस नियम के अंतर्गत नहीं आते हैं, केंद्रीय सरकार द्वारा आयोग के परामर्श से अवधारित की जाएगी।

(6) यदि इस नियम के अधीन ज्येष्ठता नियत किए जाने की दशा में कोई कठिनाई या विसंगति पैदा हो जाती हो तो उसका अवधारण केंद्रीय सरकार द्वारा आयोग के परामर्श से किया जाएगा।

10. **सेवा में नियुक्तिः-** सेवा के विभिन्न ग्रेडों में सभी पदों के लिए सेवा की सभी नियुक्तियां नियंत्रक प्रधिकारी द्वारा आयोग के परामर्श से की जाएंगी।

11. **भारत के किसी भी भाग में सेवा के लिए दायित्व और अन्य शर्तें:-**) 1) सेवा में नियुक्त अधिकारी भारत में या भारत के बाहर किसी भी स्थान पर सेवा करने के दायित्वाधीन होगा।

(2) ऐसे मामलों के संबंध में जिनके लिए इन नियमों में कोई उपबंध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्यों की सेवा की शर्तें वह होंगी, जो साधारणतया समयसमय पर केंद्रीय सिविल--सेवा के अधिकारियों को लागू होती हैं।

12. **निरर्हताएः-**

वह व्यक्तिः-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार को यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

13. **शिथिल करने की शक्तिः** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

14. **व्यावृत्तिः-**

इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

15. **अवशिष्टिय मामलेः-**

ऐसे मामलों की बाबत जो विनिर्दिष्ट रूप से इन नियमों के अंतर्गत नहीं आते हैं, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों, विनियमों और आदेशों से शासित होंगे जो साधारणतया केंद्रीय सिविल सेवाओं या समतुल्य पदों पर लागू होते हैं।

16. **निर्वचनः-**

यदि इन नियमों के निर्वचन से संबंधित कोई प्रश्न पैदा होता है तो वह केंद्रीय सरकार को निदेशित किया जाएगा जो उसका विनिश्चय करेगी।

पहली अनूसूची

(नियम 2 (छ); 4 (1), (3); 7 और 9 (1) देखिए)

भारतीय कौशल विकास सेवा समूह)'क' (की विभिन्न श्रेणियों में सम्मिलित ड्यूटी पदों के नाम, संख्या और वेतनमान

क्र.सं.	श्रेणी	श्रेणी को सम्मिलित करते हुए ड्यूटी पदों के नाम	ड्यूटी पदों की संख्या	वेतन मैट्रिक स्तर
1	2	3	4	5
1.	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी	उप महानिदेशक	3	14 (रु. 1,44,200-2, 18,200)
2.	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी	निदेशक	28	13 (रु. 1,18,500-2, 14,200)
3.	ज्येष्ठ वेतनमान (अकृत्यिक दूसरी श्रेणी)	संयुक्त निदेशक	23@	12 (रु. 78,800-2, 09,200)
4.	ज्येष्ठ वेतनमान	उप निदेशक	97	11 (रु. 67,700-2,08,200)
5.	कनिष्ठ वेतनमान	सहायक निदेशक	112	10 (रु. 56,100-1,77,500)

@ ज्येष्ठ वेतनमान (अकृत्यिक दूसरी श्रेणी) में पदों की संख्या ज्येष्ठ ड्यूटी पदों का 15% होगी, अर्थात् ज्येष्ठ वेतनमान में पदों की संख्या कैडर में ज्येष्ठ वेतनमान या उपर का सीमित होगा। तथापि, कैडर की समग्र क्षमता में कोई वृद्धि नहीं होगी।

दूसरी अनुसूची

[नियम 7 (क) देखिए]

भारतीय कौशल विकास सेवा (समूह 'क') के विभिन्न ग्रेडों में सम्मिलित ड्यूटी पदों पर, यथास्थिति, प्रतिनियुक्ति पर प्रोन्नति/ स्थानांतरण द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति के लिए भर्ती की पद्धति, प्रोन्नती का क्षेत्र, अगले निम्नतर ग्रेड में न्यूनतम अर्हक सेवा और अन्य पात्रता शर्तें:

क्र.सं.	श्रेणी वेतन मैट्रिक्स स्तर	भर्ती की पद्धति	चयन का क्षेत्र और प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी वेतन मैट्रिक्स स्तर-14 (रु. 1,44,200-2,18,200)	प्रोन्नति द्वारा	भारतीय कौशल विकास सेवा के ऐसे कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात् तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो।
2.	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी वेतन मैट्रिक्स स्तर-13 (रु. 1,18,500-2,14,200)	प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है, द्वारा	<u>प्रोन्नति</u>: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67,700-2,08,200) में के ऐसे कनिष्ठ वेतनमान के अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो, जिसके अंतर्गत दूसरी अकृत्यिक श्रेणी में की गई सेवा भी है। **<u>प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है:</u>** केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर उपक्रम, स्वायत्त और कानूनी संगठन, विश्वविद्यालय, मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी (क) (i) जो सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वर्तमान काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स स्तर-12 (78,800-2,09,200) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष की सेवा की हो। (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव है: **<u>आवश्यक:</u>** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अभियांत्रिकी की उपयुक्त शाखा में डिग्री (वास्तविक विषय-शाखा प्रत्येक भर्ती के समय पर इंगित की जाएगी):

			(ii) उत्पादन या अनुरक्षण या सेवा या अध्यापन में पर्यवेक्षक के पद पर 12 वर्षों का अनुभव साथ ही साथ किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थान में 02 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव। **वांछनीयः** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अभियांत्रिकी या प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री या समतुल्य (ii) पाठ्यक्रम, शिक्षण सामग्री, प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने का ज्ञान। टिप्पण 1- फीडर प्रवर्ग में ऐसे विभागीय अधिकारी जो सीधी परम्परा में प्रोन्नति पाने के पात्र हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार करने हेतु पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार से, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार करने हेतु पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2- केंद्रीय सरकार के एक ही संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया पांच वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
3.	ज्येष्ठ वेतनमान (अकृत्यिक दूसरी श्रेणी), वेतन मैट्रिक्स स्तर-12 (रु. 78,800-2,09,200)	उपयुक्तता के अधीन रहते हुए ज्येष्ठता के आधार पर नियोजन (छानबीन समिति के माध्यम से)	ज्येष्ठ वेतनमान अधिकारी जिन्होंने उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष की नियमित सेवा की है।
4.	ज्येष्ठ वेतनमान वेतन मैट्रिक्स स्तर-11 (रु. 67,700-2,08,200)	66.7% प्रोन्नति के द्वारा 33% प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है के द्वारा	प्रोन्नतिः वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56,100-1,77,500) में के ऐसे कनिष्ठ वेतनमान के अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो। प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है: केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार; संघ राज्य

			क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर उपक्रम, स्वायत्त और कानूनी संगठन, विश्वविद्यालय, मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो सदृश्य पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वर्तमान काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स स्तर -10 (56,100-1,77,500) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष की सेवा की हो। (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव हैः <u>आवश्यकः</u> (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अभियांत्रिकी की उपयुक्त शाखा में डिग्री (वास्तविक विषय-शाखा प्रत्येक भर्ती के समय पर इंगित की जाएगी)। (ii) उत्पादन या अनुरक्षण या सेवा या अध्यापन में पर्यवेक्षक के पद पर 12 वर्षों का अनुभव साथ ही साथ किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थान में 02 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव। <u>वांछनीयः-</u> (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अभियांत्रिकी या प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री या समतुल्य। (ख) पाठ्यक्रम, शिक्षण सामग्री, प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने का ज्ञान। टिप्पण 1- फीडर प्रवर्ग में ऐसे विभागीय अधिकारी जो सीधी परंपरा में प्रोन्नति पाने के लिए पात्र हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार करने हेतु पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार से, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार करने हेतु पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2-** केंद्रीय सरकार के एक ही संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले

			धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया 04 वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
5.	कनिष्ठ वेतनमान वेतन मैट्रिक्स स्तर-10 (56,100-1,77,500)	(1) 50% प्रोन्नति द्वारा (जिसमें 30% पद ऐसे अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे जिनके पास डिग्री है और 20% पद ऐसे अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे जिनके पास डिप्लोमा या अन्य अर्हता है; (2)50% संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा	वेतन मैट्रिक्स 7 में के ऐसे प्रशिक्षणार्थी अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्षों की सेवा की है और उनके पास (i) कम से कम राष्ट्रीय प्रमाण पत्र या शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र के साथ उपयुक्त व्यवसाय में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र या व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा जारी समतुल्य प्रमाण पत्र है; या (ii) जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री या राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र के समतुल्य प्रमाण पत्र है। **टिप्पण 1-** पोषक श्रेणी के संबंध में पात्रता सेवा, इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को वेतन मैट्रिक्स स्तर-7 (44,900-1,42,400) में नियमित आधार पर पद धारण करने वाले प्रशिक्षु अधिकारियों की श्रेणियों में, तीन वर्ष बनी रहेगी। **टिप्पण 2-** पोषक श्रेणी के ऐसे अधिकारियों को, जिनके पास इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री है, राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र की अपेक्षा से छूट होगी।

टिप्पणः जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

तीसरी अनुसूची

[नियम 7(ख) देखिए]

भारतीय कौशल विकास सेवा (समूह 'क') के विभिन्न श्रेणियों में प्रोन्नति या पुष्टि के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना

क्र.सं	**पद का नाम**	**समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) और ज्येष्ठ वेतनमान की दशा में छानबीन समिति** (अक्रत्यिक **दूसरी श्रेणी)**	**समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए)**
1	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी वेतन मैट्रिक्स स्तर-14 (1,44,200-3,18,200 रू.)	1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष 2. सचिव, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय – सदस्य 3. अपर सचिव, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय - सदस्य	लागू नहीं होता
2	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी वेतन मैट्रिक्स स्तर -13 (1,18,500-2,14,200 रू.)	1. अध्यक्ष/सदस्य- अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष 2. सचिव, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय – सदस्य 3. महानिदेशक/संयुक्त सचिव, प्रशिक्षण महानिदेशालय - सदस्य	लागू नहीं होता
3	ज्येष्ठ वेतनमान (अक्रत्यिक दूसरी श्रेणी) वेतन मैट्रिक्स स्तर-12 (78,800-2,09,200 रू.)	1. सचिव, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय – अध्यक्ष 2. महानिदेशक/संयुक्त सचिव, प्रशिक्षण महानिदेशालय – सदस्य 3. उप महानिदेशक, प्रशिक्षण/ निदेशक, प्रशिक्षण, प्रशिक्षण महानिदेशालय - सदस्य	लागू नहीं होता
4	ज्येष्ठ वेतनमान वेतन मैट्रिक्स स्तर-11 (67,700-2,08,700रू.)	1. विशेष सचिव/अपर सचिव, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय – अध्यक्ष 2. महानिदेशक/संयुक्त सचिव, प्रशिक्षण महानिदेशालय – सदस्य 3. उप महानिदेशक, प्रशिक्षण /निदेशक, प्रशिक्षण, प्रशिक्षण	लागू नहीं होता

		महानिदेशालय – सदस्य 4. उप महानिदेशक (शिक्षुता प्रशिक्षण) या निदेशक, शिक्षुता प्रशिक्षण, प्रशिक्षण महानिदेशालय – सदस्य 5. निदेशक/उप सचिव (प्रशासन), प्रशिक्षण महानिदेशालय - सदस्य	
5	कनिष्ठ वेतनमान वेतन मैट्रिक्स स्तर-10 (56,100-1,77,500 रू)	1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष 2. सचिव, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय – सदस्य 3. महानिदेशक/संयुक्त सचिव, प्रशिक्षण निदेशालय – सदस्य 4. उप महानिदेशक (प्रशिक्षण)/निदेशक,प्रशिक्षण, प्रशिक्षण महानिदेशालय – सदस्य 5. उप महानिदेशक (शिक्षुता प्रशिक्षण) या निदेशक, शिक्षुता प्रशिक्षण, प्रशिक्षण महानिदेशालय – सदस्य	1. संयुक्त सचिव, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय – अध्यक्ष 2. निदेशक/उप सचिव (प्रशासन), कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय – सदस्य 3. उप महानिदेशक प्रशिक्षण/निदेशक, प्रशिक्षण, प्रशिक्षण महानिदेशालय – सदस्य 4. उप महानिदेशक (शिक्षुता प्रशिक्षण) या निदेशक शिक्षुता प्रशिक्षण, प्रशिक्षण महानिदेशालय – सदस्य

अनुसूची -4

[नियम 7 (ग) देखिए]

भारतीय कौशल विकास मंत्रालय के कनिष्ठ वेतनमान में सीधी भर्ती के लिए उम्र और न्यूनतम योग्यता और अन्य अरहर्ताएँ, अनुभव और आयु सीमा:

(क) आयु सीमा- परीक्षा के वर्ष 1 जनवरी को 21-30 वर्ष

(केंद्रीय सरकार द्वारा समय- समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)

शैक्षणिक अर्हता:

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अभियांत्रिकी या प्रौद्योगिकी में डिग्री।

[फा.सं..डीजीटी-ए-12018/1/2023/स्थापना-I]

हेना उस्मान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

NOTIFICAION

New Delhi, the 11th February, 2024

G.S.R. 130(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Indian Skill Development Rules, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment and conditions of the service to the Group 'A' posts in the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, namely:-

1. Short title and commencement.- (i) These rules may be called the Indian Skill Development Service Rules, 2025.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definition.- In these rules, unless the context otherwise requires,

(a)"Commission" means the Union Public Service Commission;

(b)"Controlling Authority" means the Government of India in the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship;

(c)"departmental candidates" means all the existing officers holding Group 'A' posts appointed under-

(i) The Deputy Director General (Group 'A' Post), Recruitment Rules, 2002; or

(ii) The Directorate of Training (Group 'A' Post) Recruitment Rules, 2011; or

(iii) The Indian Skill Development Service Recruitment Rules, 2017;

and include officers appointed on regular basis to the posts under the said rules but are on deputation to other Departments on the date of commencement of these rules;

(d) "Department Promotion Committee" means a Committee to consider promotion in the grade of Junior Time Scale and above; and "Departmental Confirmation Committee" means a Committee for confirmation of officers in the grade of Junior Time Scale; "Departmental Screening Committee", means a Committee to consider grant of Non-Functional Second Grade;

(e)"duty post" means any post included in the First Schedule;

(f) "Grade" means a Grade specified in column (2) of the First Schedule;

(g)"regular service" in relation to any Grade means the period or periods of service in that Grade rendered after the commencement of these rules and includes any period or periods -

(i) taken into account for the purpose of seniority in case of those appointed at the initial constitution; and

(ii) during which an officer would have held a duty post in that Grade but for being on leave or otherwise not available to hold such post;

(h) "Schedule" means a Schedule appended to these rules;

(i) "Service" means the Indian Skill Development Service constituted under rule 3.

3. Constitution of Indian Skill Development Service.- (1) There shall be constituted a Service to be known as the Indian Skill Development Service consisting of members specified in rule 5.

(2) All the posts included in the Service shall be classified as Group 'A' posts.

4. Grades, authorised strength and its review.- (1) The duty posts included in the various Grades of the Service, their number and the level in pay matrix on the commencement of these rules, shall be as specified in the First Schedule.

(2) After the commencement of these rules, the authorised strength of the duty posts in various grades shall be such as may, from time to time, be determined by the Central Government.

(3) Central Government may, in consultation with the Commission, include in the Service such posts as can be deemed to be equivalent in status, level of pay in the pay matrix to the posts included in First Schedule or exclude from the service a duty post included in the said Schedule.

4) The Central Government may, from time to time and in consultation with the Commission, appoint an officer to a duty post whose post is included in the Service under sub-rule (3), to the appropriate Grade of the Service in a temporary capacity or in a substantive capacity as it thinks fit and fix his seniority in that Grade after taking into account his continuous regular service in the analogous Grade.

5. Member of Service.- (1) The following persons shall be the members of the Service, namely: -

(a) persons appointed to duty posts under rule 6; and

(b) persons appointed to duty posts under sub-rule (4) of rule 4 and rule 7.

(2) A person appointed under clause (a) of sub-rule (1) shall on such appointment be deemed to be the member of the Service in the corresponding Grade, applicable to him as specified in the First Schedule.

(3) A person appointed under clause (b) of sub-rule (1) shall be a member of the Service in the corresponding Grade applicable to him as specified in the First Schedule from the date of such appointment.

6. Initial constitution of Service.- All the existing departmental candidates holding Group 'A' posts in various Grades on regular basis on the date of commencement of these rules shall be deemed to be appointed to the corresponding duty posts and the Grade of the Service in a substantive or officiating capacity, as the case may be.

7. Future maintenance of Service.- Any vacancy in any of the Grades referred to in the First Schedule after the commencement of these rules shall be filled in following manner namely: -

(a) appointments to various Grades of the Service shall be made in accordance with the method of recruitment, the field of promotion, the minimum qualifying service in the next lower Grade and other eligibility conditions for appointment by promotion or transfer on deputation, as the case may be, as specified in the Second Schedule;

(b) the selection of officers for promotion/Placement shall be made on the recommendation of the Departmental Promotion Committee/Departmental Screening Committee constituted in accordance with the Third Schedule;

(c) the educational and other qualifications, experience and age limits for appointment by direct recruitment to Junior Time Scale (Assistant Director) of the Service shall as specified in the Fourth Schedule.

8. Probation.- (1) Every officer appointed to the Service either by direct recruitment or by promotion in Junior Scale shall be on probation for a period of two years:

Provided that the Controlling Authority may extend the period of probation in accordance with the instructions issued by the Central Government from time to time in this regard.

Provided further that any decision for extension of period of probation shall be taken ordinarily within eight weeks after the expiry of the period of probation and communicated in writing to the concerned officer together with the reasons for so doing within the said period.

(2) On completion of the period of probation or any extension thereof, the officer shall, if considered fit for permanent appointment, be retained in his appointment on regular basis and be confirmed in due course against the available substantive vacancy.

(3) If, during the period of probation or any extension thereof, as the case may be, the Central Government is of the opinion that an officer is not fit for permanent appointment, the Central Government without any reason being assigned, may-

(a) If he was appointed by direct recruitment discharge him from Service in that post;

(b) If he was appointed by promotion revert him to the post held by him immediately before such promotion.

(4) During the period of probation or any extension thereof, the officer may be required to undergo such courses of training and instructions and pass such examinations and tests (including examination in Hindi) as the Central Government may consider necessary as a condition to the satisfactory completion of probation.

(5) Subject to sub-rules (1) to (4), the other matters relating to probation of the members of the Service shall be governed by the instructions issued by the Central Government from time to time in this regard.

9. Seniority.- (1) The inter-se seniority of the officers appointed to the various Grades mentioned in the First Schedule at the initial constitution of the Service under rule 6, shall be determined according to the length of regular continuous service in the Grade subject to maintenance in the respective Grades of inter-se seniority of officers recruited under the rules mentioned in clause (c) of rule 2;

(2) Officers appointed at the initial constitution shall be senior to those appointed subsequently.

(3) The seniority of the officers appointed to the Service after the initial constitution shall be determined in accordance with the provisions contained in the Department of Personnel and Training O.M. No. 22011/7/86/Estt., Dated the 3rd July, 1986 as amended from time to time.

(4) The seniority of officers appointed under sub-rule (4) of rule 4 shall be fixed in the manner provided in these rules.

(5) The seniority of officers not covered under this rule, shall be determined by the Central Government in consultation with the Commission.

(6) In case the fixation of the seniority under this rule results in difficulties or anomalies, the same shall be determined by the Central Government in consultation with the Commission.

10. Appointment to Service.- All appointments to the Service shall be made by the Controlling Authority for all the posts in various Grades of the Service in consultation with the Commission.

11. Liability for service in any part of India and other conditions of service.- (1) The officers appointed to the Service shall be liable to serve anywhere in India or outside.

(2) The conditions of service of the members of the Service, in respect of matters for which no provision is made in these rules, shall be the same as are applicable, from time to time, to officers of Central Civil Service in general.

12. Disqualification.- No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the Service:

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

13. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Commission, relax any of the provisions to these rules with respect to any class or category of persons.

14. Saving.- Nothing in these rules shall effect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

15. Residuary matters.- In regard to matters not specifically covered by these rules, the members of the Service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable to the Central Civil Services or equivalent posts in general.

16. Interpretation.- If any question relating to interpretation of these rules arises, it shall be referred to the Central Government who shall decide the same.

FIRST SCHEDULE

[See Rules 2(g); 4(1), (3); 7 and 9 (1)]

Name, number and level in pay matrix of duty posts included in the various grades of the Indian Skill Development (Group 'A') Service

Sl.No.	**Grade**	**Name of the duty post included in the Grade**	**Number of the duty posts**	**Level in Pay Matrix**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
1	Senior Administrative Grade	Deputy Director General	3	Level-14 (Rs. 1,44,200-2,18,200)
2	Junior Administrative Grade	Director	28	Level-13 (Rs. 1,18,500-2,14,200)
3	Senior Time Scale (Non-Functional Second Grade)	Joint Director	23@	Level-12 (Rs. 78,000-2,09,200)
4	Senior Time Scale	Deputy Director	97	Level-11 (Rs. 67,700-2,08,200)
5	Junior Time Scale	Assistant Director	112	Level-10 (Rs. 56,100-1,77,500)

@The number of posts in Senior Time Scale (Non Functional Second Grade) shall be 15% of the senior duty posts i.e. at the level Senior Time Scale and above in the Cadre, limited to the number of posts in the Senior Time Scale. However, there shall be no increase in the overall strength of the Cadre.

SECOND SCHEDULE

[See Rule 7 (a)]

Method of recruitment, field of promotion, minimum qualifying service in the next lower grade and other eligibility conditions for appointment of officers by promotion or transfer on deputation, as the case may be, to duty posts included in the various grades of the Indian Skill Development (Group 'A') Service.

Sl.No.	**Grade, level in pay matrix**	**Method of recruitment**	**Field of selection and minimum qualifying service for promotion**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
1	Senior Administrative Grade, pay matrix level-14 (Rs.1,44,200- 2,18,200)	By promotion	Junior Administrative Grade Officers of the Indian Skill Development Service with three years regular service rendered in the grade after appointment thereto.
2	Junior Administrative Grade, pay matrix level-13 (Rs.1,18,500- 2,14,200)	By promotion failing which by deputation including short term contract	Promotion: Officers of the Senior Time Scale in level 11 of the pay matrix (Rs. 67,700-2,08,200) with 10 years regular service in the grade including service rendered in the Non-Functional Second Grade. Deputation (including short term contract): Officers of the Central Governments, State Governments, Union territories, Public Sector Undertakings, autonomous and statutory organisations, Universities or Recognised Research Institution: (a)(i) Holding analogous posts in the present cadre or department, or (ii) With five years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in Level 12 in the pay matrix (Rs.78,800-2,09,200) or equivalent in the present cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience: Essential:- (i) A degree in the appropriate branch of engineering of a recognized University or Institute (the exact discipline shall be indicated at the time of each recruitment); (ii) Twelve years' experience in a supervisory capacity in production or maintenance or servicing or teaching in a recognised technical institute including two years administrative experience. Desirable (i) Master's degree in engineering or technology from a recognised University or Institute. (ii) Knowledge of preparation of syllabi teaching aid, training material. **Note 1:** The departmental officers in the feeder grade who are in the direct line of promotion shall not be

			eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationist shall not be eligible for consideration for appointment on promotion. **Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.
3	Senior Time Grade (Non functional Second Grade), pay matrix level-12 (Rs.78,800-2,09,200)	By placement on the basis of seniority subject suitability (through screening committee)	Senior Time Scale Officers with five years regular service rendered in the grade after appointment to the post
4	Senior Time Scale, pay matrix level-11 (Rs.67,700-2,08,200)	66.7% by promotion 33.3 % by Deputation (including short term contract)	Promotion: Junior Time Scale Officers in level 10 of the pay matrix (Rs. 56,100-1,77,500) with five years of regular service in the grade after appointment thereto. Deputation (including short term contract): Officers of the Central Governments, State Governments, Union territories, Public Sector Undertakings, autonomous and statutory organisations, recognized Universities and Recognised Research Institution: (a)(i) Holding analogous post on a regular basis in the present cadre or department; or (ii) With five years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level 10 in the pay matrix (Rs. 56100-1,77,500) or equivalent in the present cadre or department; and (b) Possessing the following educational qualification and experience Essential: (i) A degree in the appropriate branch, engineering from a recognised University or Institute (the exact discipline shall be indicated at the time of each recruitment). (ii) Twelve years' experience in a supervisory capacity in production or maintenance or servicing or teaching or training in a recognised technical institute including two year's administrative experience. Desirable:- (a) Master's degree in engineering or technology from a recognised University or Institute.

			(b) Knowledge of preparation of syllabi, teaching aids, training material. **Note 1:** The departmental officers in the feeder grade who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment on promotion. **Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.
5	Junior Time Scale pay matrix level-10 (Rs. 56100-1,77,500)	(1) 50% by Promotion (of which 30%) from candidates having degree and 20% from candidates having diploma and other qualifications. (2) 50% by Direct Recruitment through Engineering Service Examination conducted by Union Public Service Commission.	Promotion : Training Officer in level 7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) with five years' service in the grade (after notification of these rules) after appointment thereto; and possessing :-(i) National Trade Certificate or National Apprentice-ship Certificate in appropriate trade with Craft Instructor Certificate or National Craft Instructor Certificate or equivalent certificate issued by the National Council for Vocational Training; or (ii) A degree from a recognised University or Institute with National Trade Certificate or National Apprenticeship Certificate. **Note 1:** The eligibility service in respect of feeder grade officer in the grade of Training Officers in level- 7 in pay matrix (Rs. 44900-142400), holding the post on regular basis as on the date of notification of these Rules, shall continue to be three years. **Note 2:** The Officers in the feeder grade who possess diploma or degree in engineering, shall be exempted from the requirement of National Trade Certificate or National Apprentice-ship Certificate.

NOTE : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion , their seniors would also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service of two years , whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service .

Third Schedule

[See rule 7(b)]

Composition of Group 'A' Department Promotion Committee for considering promotion or confirmation to various Grade of the Indian Skill Development Service (Group 'A').

Sl.No.	Name of the duty post	Group 'A' Departmental Promotion Committee (For considering Promotion) and Screening Committee in case of Senior Time Scale (Non Functional Second Grade)	Group 'A' Departmental Promotion Committee (For Considering Confirmation)
1	Senior Administrative Grade Pay Matrix Level -14 (Rs. 1,44,200- 2,18,200)	1. Chairman or Member Union Public Service Commission – Chairman; 2. Secretary, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship- Member; 3. Additional Secretary, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship- Member.	Not applicable
2	Junior Administrative Grade Pay Matrix Level - 13 (Rs. 1,18,500 – 2,14,200)	1. Chairman or Member Union Public Service Commission – Chairman; 2. Secretary Ministry of Skill Development and Entrepreneurship – Member; 3 Director General or Joint Secretary, Directorate General of Training – Member.	Not applicable
3	Senior Time Scale (Non Functional Second Grade) Pay Matrix Level – 12 (Rs. 78,800- 2,09,200)	1. Secretary, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship – Chairman; 42. Director General or Joint Secretary, Directorate General of Training – Member; 3. Deputy Director General of Training or Director of Training, Directorate General of Training – Member.	Not applicable
4	Senior Time Scale Pay Matrix Level – 11 (Rs. 67,700- 2,08,700)	1. Special Secretary or Additional Secretary, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship- Chairman; 2.Director General or Joint Secretary, Directorate General of Training – Member; 3. Deputy Director General (Training) or Director of Training, Directorate General of Training – Member; 4.Deputy Director General (Apprenticeship Training) or Director of Apprenticeship Training, Directorate	Not applicable

		General of Training – Member ; 5.Director or Deputy Secretary (Administration) Directorate General of Training – Member.	
5	Junior Time Scale pay Matrix Level – 10 (Rs. 56,100 – 1,77,500)	1.Chairman or Member, Union Public Service Commission – Chairman; 2. Secretary, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship-Member; 3. Director General or Joint Secretary, Directorate General of Training – Member; 4.Deputy Director General of (Training) or Director of Training, Directorate General of Training – Member; 5.Deputy Director General (Apprenticeship Training) or Director of Apprenticeship Training, Directorate General of Training – Member.	1. Joint Secretary, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship-Chairman; 2. Director or Deputy Secretary (Administration) Ministry of Skill Development and Entrepreneurship- Member; 3. Deputy Director General (Training) or Director of Training, Directorate General of Training – Member; 4. Deputy Director General (Apprenticeship Training) or Director of Apprenticeship Training, Directorate General of Training – Member.

FOURTH SCHEDULE

[See Rule 7 (c)]

Age and minimum educational and other qualification, experience and age limit for direct recruitment in the Junior Time Scale of the Indian Skill Development Service.

(a) Age limit- 21-30 years as on 1st January of the year of examination, (Relaxable for Government servant upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)

Educational qualifications: (i) Degree in Engineering or Technology from a recognised University or Institute.

[F. No. DGT-A-12018/1/2023-ESTT.I]

HENA USMAN, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.02.13 14:54:16 +05'30'